25

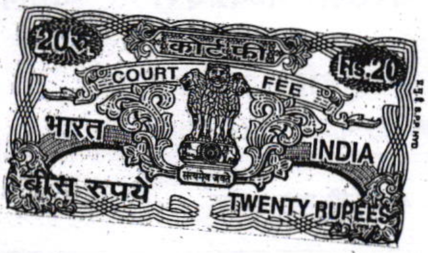

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/4957

दिनांक 7-12-17 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत। 7-12-17

हल्के पुत्र श्री जिरिया अहिरवार
निवासी– ग्राम जरेहटा कला तहसील गोरिहार जिला – छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदक

पे० दि० 8-1-18

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 306/स्वप्रेरणा/अ–19/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

D Chaturvedi 07/12/17

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 62, 68, 70, 79 रकवा क्रमशः 0.105, 0.097, 0.065, 0.016 है0 स्थित ग्राम जरेहटा कला का चक व्यवस्थापन तहसीलदार गौरिहार के आदेश दिनांक 28.02.2003 द्वारा आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। जिसकी 14 वर्षो के बाद अपर कलेक्टर जिला छतरपुर स्वप्रेरणा निगरानी में सुनवाई हेतु लिया गया है जबकि कानूनन किसी प्रकरण में पारित आदेश को वर्षो के बाद प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में नहीं लिया जा सकता।

noted 8/1/18

2. यहकि, इस आशय का आवेदन पत्र आवेदक द्वारा दिनांक 28.10.2017 को दिया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ किये जाने का आदेश दिनांक 24.11.2017 को पारित किया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु

7.12.17 3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4957 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08.02.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि यह निगरानी उन्होंनें अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वार अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। इस कारण यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाए। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उनके अनुरोध पर समाप्त किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	